



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

शारीरिक शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम हेतु प्री.बी.पी.एड.
प्रवेश प्रक्रिया – 2026

सामान्य दिशा—निर्देशिका



प्रो. अल्पना कटेजा
कुलगुरु
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रो. राम अवतार शर्मा
समन्वयक
प्री.बी.पी.एड. प्रवेश प्रक्रिया—2026

प्री.बी.पी.एड.—प्रवेश प्रक्रिया —2026
शिक्षा विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर—302004, राजस्थान।
ई—मेल. pbped2026ru@gmail.com
मो. नं. 7340183600
वेबसाईट www.uniofraj.org



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	अधिसूचना प्री.बी.पी.एड.-2026	1
2.	प्री.बी.पी.एड.-2026 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन के सामान्य दिशा-निर्देश	2
3.	प्री.बी.पी.एड.-2026 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वांछित योग्यताएं	3-4
4.	प्री.बी.पी.एड.-2026 पाठ्यक्रम की चयन प्रक्रिया से सम्बंधित दिशा-निर्देश	4
5.	प्रवेश प्रक्रिया से सम्बंधित दिशा-निर्देश	5-6
6.	शारीरिक दक्षता परीक्षण से सम्बंधित दिशा-निर्देश	6-7
7.	प्री.बी.पी.एड.-2026 की वरीयता के निर्धारण से सम्बंधित दिशा-निर्देश	7-8
8.	सीटों के आरक्षण से सम्बंधित नियम एवं दिशा-निर्देश	9
9.	प्री.बी.पी.एड.-2026 पाठ्यक्रम के शुल्क सम्बंधित दिशा-निर्देश	10
10.	सेवारत शारीरिक शिक्षक नमूना प्रमाण-पत्र	11



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्री.बी.पी.एड./प्री.एम.पी.एड./प्री.एम.एड./प्री.बी.एड.-एम.एड. प्रवेश प्रक्रिया 2026

PBPED, PMPED, PMED & PBED-MED/2026/27

दिनांक: 19.09.2026

अधिसूचना संख्या 01 / 2026

राजस्थान राज्य में स्थित विभिन्न शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/संस्थानों में सत्र 2026-27 के लिए बी.पी.एड., एम.पी.एड., एम.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रमों एवं तीन वर्षीय इन्टीग्रेटेड बी.एड.-एम.एड. पाठ्यक्रम में राज्य सरकार एवं एन.सी.टी.ई. के नियमानुसार इच्छुक अभ्यर्थियों से सम्बंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन दिनांक 22/09/2026 से 30/09/2026 तक आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट www.uniofraj.org का अवलोकन कर तदनुसार ऑनलाईन आवेदन फार्म निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करें। प्रवेश सम्बंधित विस्तृत दिशा-निर्देश/सूचना के लिये आवेदक समय-समय पर अधिकृत वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

क्र.स.	विवरण	महत्वपूर्ण तिथियां
1.	ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि	22 / 09 / 2026
2.	ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	30 / 09 / 2026

(प्रो. राम अवतार शर्मा)
समन्वयक

उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक प-10(3) शिक्षा ग्रुप-4/2016 पार्ट-00224 के दिनांक 23.07.2026 के द्वारा राजस्थान राज्य के विभिन्न राजकीय, निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षण, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में संचालित द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 में प्रवेश हेतु राज्य स्तर पर केन्द्रीयकृत प्रवेश प्रणाली के माध्यम से प्रवेश प्रदान करने हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

प्री.बी.पी.एड.-2026 में प्रवेश प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन आवेदन के सामान्य दिशा-निर्देश

1. द्विवर्षीय बी.पी.एड. सत्र 2026-27 में प्रवेश लेने के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी सर्वप्रथम वेबसाइट www.uniofraj.org पर उपलब्ध सूचनाओं एवं सामान्य दिशा निर्देश एवं इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्यता का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें तथा इसके पश्चात यदि वे आवेदन हेतु योग्यता रखते हैं तो सर्वप्रथम प्री.बी.पी.एड. प्रवेश प्रक्रिया 2026 की वेबसाइट www.uniofraj.org पर पंजीयन कर निर्देशानुसार परीक्षा शुल्क जमा करावें।
2. अभ्यर्थी प्री.बी.पी.एड. प्रवेश प्रक्रिया शुल्क राशि रु. 1100/- का भुगतान ऑनलाईन गेटवे के माध्यम से डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यू.पी.आई./ई-मित्र से कर सकेंगे तथा सफलतापूर्वक ऑनलाईन भुगतान के पश्चात अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिन्ट कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क उपरोक्त माध्यम से ही स्वीकार होगा।
3. अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं एवं परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं।
4. हाथ से भरे गए आवेदन-पत्र किसी भी दशा में विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आवेदक ध्यान दें –

- I. ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन (Preview) करें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी सूचना सही नहीं है या आपके विवरण से मेल नहीं खाती है तो इसे निरस्त मानकर प्रारम्भ से नया आवेदन करें।
- II. आवेदन पत्र में मुद्रित सभी सूचनाएं सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़ें।
- III. एक बार जमा की गई आवेदन शुल्क राशि केवल तकनीकी कारणों से दोहरा शुल्क जमा होने की स्थिति में ही लौटायी जावेगी, शेष प्रकरणों में आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा।
- IV. यदि किन्ही तकनीकी कारणों से परीक्षा शुल्क का भुगतान (Transaction) विफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कुछ समय प्रतीक्षा कर वेबसाइट पर उपलब्ध Check Payment Status विकल्प पर चैक करने पर, यदि परीक्षा शुल्क का भुगतान (Transaction) सफल दर्शाता है तो आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़ें तथा यदि परीक्षा शुल्क का भुगतान (Transaction) इस स्थिति में भी विफल रहता है तो पुनः ऑनलाईन प्रक्रिया से शुल्क निर्धारित तिथि तक जमा करवाना होगा।

नोट – उक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बोर्ड की अंकतालिकाओं के अनुसार भरें। साथ ही अपने स्वयं के ही सही मोबाईल नम्बर एवं ईमेल आईडी उपलब्ध करवाएँ जिस पर समय-समय पर सूचना प्रेषित की जा सके।

- V. ऑनलाईन आवेदन पत्रों की प्रिन्ट प्रति जमा करवाने हेतु द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम 2026 के ऑनलाईन भरे हुये आवेदन पत्र की तीन प्रतियाँ अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें, सभी शैक्षणिक व खेल प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि एवं निरस्त चैक संलग्न कर समस्त दस्तावेजों के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय समन्वयक कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- VI. शारीरिक दक्षता परीक्षण में उपस्थित होने की सूचना वेबसाइट पर दी जायेगी व सभी अभ्यर्थी खेल पोशाक में उपस्थित होंगे।
- VII. शारीरिक दक्षता परीक्षण एक अवसर में ही उत्तीर्ण करना होगा तथा उन्हीं सफल अभ्यर्थियों से वरीयता सूची तैयार कर प्रवेश दिया जायेगा।

VIII. अभ्यर्थी द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम 2026 की वेबसाईट को समय-समय पर देखते रहें, जिससे वे अद्यतन सूचना से अवगत होते रहें।

अनुभाग I बी.पी.एड.-2026 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वांछित योग्यताएं

बी.पी.एड. 2026-27 पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व वांछित योग्यताओं का होना अतिआवश्यक है, इसके अभाव में प्रवेश हेतु आवेदन अमान्य होगा।

1. शैक्षिक योग्यता :-

अभ्यर्थी का विधि अनुसार गठित संस्थान एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों से स्नातक उपाधि में 50 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण व भारतीय विश्वविद्यालय संघ/आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई./भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अन्तर-महाविद्यालय/इन्टर जोनल/जिला/विद्यालय स्तर पर जिला प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी होना आवश्यक है।

अथवा

शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.ई. तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) उपाधि में 45 प्रतिशत अंकों में उत्तीर्ण हों।

अथवा

स्नातक उपाधि में 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हों एवं स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो।

अथवा

स्नातक उपाधि में 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण व भारतीय विश्वविद्यालय संघ आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई./भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में राष्ट्रीय/अन्तर-विश्वविद्यालय/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता अथवा अन्तर महाविद्यालय/इन्टर जोनल/जिला/विद्यालय स्तर पर जिला प्रतियोगिताओं में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त अभ्यर्थी हों।

अथवा

स्नातक उपाधि उत्तीर्ण एवं अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ/आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई./भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में राष्ट्रीय/अन्तर विश्वविद्यालय/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त अभ्यर्थी हों।

अथवा

स्नातक उपाधि में 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो एवं सरकारी सेवा में सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक/प्रशिक्षक को कम से कम तीन वर्षों का अध्यापन अनुभव हो।

विशेष –

राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प. 10 (3) शिक्षा-4/2012 पार्ट दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत अंकों की छूट लागू होगी।

आवेदक ध्यान दें –

- जो अभ्यर्थी इस सत्र में स्नातक परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रविष्ट (Appeared in last year) हो रहे हैं उनको प्री.बी.पी.एड. प्रवेश प्रक्रिया हेतु आवेदन करने की छूट दी गई है, परन्तु उक्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता/दस्तावेज सत्यापन वाले दिन अपनी अन्तिम वर्ष की मूल अंकतालिका (Original Marksheet)/अग्रिम परिणाम (Advance Result) परीक्षा नियन्त्रक द्वारा सत्यापित अंकतालिका (Online Result के सन्दर्भ में) आवश्यक रूप से जमा करवानी होगी। उक्त के अभाव में उन अभ्यर्थियों को अपात्र मानते हुए अस्थाई परिणाम जारी कर दिया जावेगा।

2. आयु – बी.पी.एड. 2026 में प्रवेश हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु गणना का आधार इस वर्ष की 30 जून, 2026 होगी। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु एवं न्यूनतम आयु निम्नानुसार होगी –

वर्ग	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
पुरुष (सामान्य वर्ग)	18 वर्ष	28 वर्ष
सामान्य वर्ग महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग (पुरुष व महिला)	18 वर्ष	33 वर्ष
पूर्व सैनिक	18 वर्ष	40 वर्ष
सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक	18 वर्ष	45 वर्ष

3. शारीरिक योग्यता :- बी.पी.एड. 2026 में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो एवं उसने शारीरिक क्रियाओं को करने की क्षमता हो। खेलों को खेलने में शारीरिक अयोग्यता, विकलांगता, गूंगापन, अंधापन एवं बहरापन नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य एवं शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्र सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रमाणित करवाकर फार्म के साथ जमा कराना आवश्यक है। महिला प्रवेशार्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान गर्भावस्था में नहीं होनी चाहिए। उक्त अयोग्यताएं होने पर अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा एवं प्रशिक्षण के दौरान उक्त अयोग्यताएं होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा।

आवश्यक निर्देश

- उक्त शारीरिक अयोग्यताएं न होने एवं शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण के दिन राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो पन्द्रह दिनों से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
- निर्देश में वर्णित शारीरिक अयोग्यताओं के बारे में यदि कोई संशय होने पर, प्रवेश के समय गठित स्थानीय मेडिकल बोर्ड के पास प्रकरण भिजवाया जावेगा, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर ही प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

अनुभाग II बी.पी.एड.-2026 पाठ्यक्रम की चयन प्रक्रिया से सम्बंधित दिशा-निर्देश

बी.पी.एड.-2026 पाठ्यक्रम की चयन प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित की जायेगी :-

1. प्रथम चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन किया जायेगा। इसका वरीयता निर्धारण में कोई योगदान नहीं होगा। यह एक वांछनीय योग्यता है। इसमें उत्तीर्ण विद्यार्थी ही अग्रिम चरण में भाग लेने योग्य होगा। विस्तृत जानकारी अनुभाग IV में वर्णित है।
2. द्वितीय चरण में वरीयता निर्धारण किया जायेगा। विस्तृत जानकारी अनुभाग V में वर्णित है।

चयन प्रक्रिया को सरलता से निम्नलिखित तालिका के अनुसार समझा जा सकता है:-

प्रथम चरण		
शारीरिक दक्षता परीक्षण	मापदंड :	पुरुष वर्ग – 2400 मीटर/12 मिनट महिला वर्ग – 2000 मीटर/12 मिनट यह एक वांछनीय योग्यता है। इसमें उत्तीर्ण विद्यार्थी ही अग्रिम चरण में भाग लेने योग्य होगा। इसका वरीयता निर्धारण में कोई योगदान नहीं है।
द्वितीय चरण		
वरीयता मापदंड	निर्धारण	मापदंड :

	स्नातक के अंको का 60 अंक (स्नातक में प्राप्त कुल अंकों का 60% प्रतिशत) - सी.पी.एड./डी.पी.एड./किसी भी खेल में (भारतीय खेल प्राधिकरण एवं एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर द्वारा) एक वर्षीय कोचिंग डिप्लोमा 05 अंक - खेल प्रमाण पत्र के अधिकतम अंक (पृष्ठ सं. 10 बिन्दु सं. I से XII के अनुसार) 35 अंक अधिकतम कुल 100 अंक*
--	---

* कुल आवंटित सीटों से तीन गुना अभ्यर्थी अग्रिम चरण हेतु योग्य माने जाएंगे।

अनुभाग-III प्रवेश प्रक्रिया से सम्बंधित दिशा-निर्देश

- यदि आप सामान्य श्रेणी से भिन्न यथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विधवा/परित्यक्ता, टाडा/माडा/सहरिया श्रेणी क्षेत्र के निवासी, सैनिक, सेवानिवृत्त सैनिक या उनके आश्रित हैं तो उस श्रेणी से सम्बन्धित नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी दस्तावेज की सत्यापित प्रति शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं काउंसलिंग के उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करवाया जाना आवश्यक है। **अभ्यर्थी ध्यान दें कि अन्य राज्यों के निवासी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे।**
- इस प्रक्रिया द्वारा चयन के निमित्त राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा समय-समय पर जारी आदेश आदि लागू होंगे।
- प्री.बी.पी.एड. आवेदन-पत्र की डाउनलोडेड प्रिन्ट प्रतियों एवं साथ में दिये जाने वाले दस्तावेजों को इस क्रमानुसार रखें—
 - पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की एक सुपाठ्य फोटो प्रति।
 - अंकतालिकाएं एवं अन्य कोई शैक्षिक प्रमाण-पत्र निम्न क्रम में रखें :—
10वीं, 12वीं, स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं अन्तिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर की अंकतालिकाएँ।
 - डी.पी.एड./किसी भी खेल में (भारतीय खेल प्राधिकरण एवं एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर द्वारा) एक वर्षीय डिप्लोमा
 - खेल प्रमाण-पत्र
 - जाति प्रमाण-पत्र
 - सैनिक या सैनिक आश्रित/विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र
 - EWS प्रमाण-पत्र
 - मूल निवास प्रमाण-पत्र आदि
 - पंजीकरण शुल्क की रसीद (शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय)
 - अपार/ ABC ID

नोट : इस बिन्दु में क्रम ii से ix में दिये गये सभी दस्तावेजों या प्रमाण-पत्रों, जो आपसे सम्बन्धित हों की सत्यापित छाया प्रतिलिपियां उपयुक्त क्रमानुसार व्यवस्थित कर अपने पास सुरक्षित, संभाल कर रखें जिन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय आवश्यक रूप से जमा करवाना है।

4. न्यायालय में दायर सभी वादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ जयपुर होगा। राजस्थान के महाविद्यालयों में सत्र 2026-2027 हेतु सिर्फ प्रवेश देने की जिम्मेदारी राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की है। अतः प्रवेश से संबंधित शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्यों के विरुद्ध न्यायालयों में दायर वाद राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को स्वीकार्य नहीं होंगे। यदि इस प्रकार का कोई प्रवेश शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा दिया जाता है तो वह भी स्वीकार्य नहीं होगा।

अभ्यर्थियों के लिए सामान्य नियम :-

- अभ्यर्थी को प्री.बी.पी.एड. प्रवेश प्रक्रिया-2026 में सम्मिलित होने की पात्रता का निर्धारण स्वयं करना चाहिए क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया में आवेदन-पत्रों की जांच विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं की जाती है। प्री.बी.पी.एड. प्रवेश प्रक्रिया 2026 में भाग लेना अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी है।
- प्री.बी.पी.एड. प्रवेश प्रक्रिया की मेरिट में यदि उसका चयन हो भी जाता है तब भी अपात्र/अयोग्य पाए जाने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं शुल्क भी लौटाया नहीं जायेगा।
- अभ्यर्थी को नियमावली व सामान्य दिशा-निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और उनकी पालना करनी चाहिए अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। निर्धारित पात्रता नहीं रखने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे।
- किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किसी श्रेणी विशेष का उल्लेख करना परन्तु वास्तविकता में उस श्रेणी से सम्बन्ध नहीं रखना या आवेदन-पत्र में श्रेणी आदि का उचित अंकन किए बगैर प्रमाण-पत्रादि की प्रतिलिपि संलग्न कर देना या ऑनलाइन आवेदन-पत्र में गलत अथवा असत्य सूचना/तथ्य अंकित करना 'दुराचरण' माना जायेगा और परिणामस्वरूप ऐसा आवेदन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- प्री.बी.पी.एड. प्रवेश प्रक्रिया शुल्क उपरोक्त दर्शाई गई किसी भी दशा में प्रत्यर्पणीय नहीं (Non-refundable) है। अतः नियमों और निर्देशों के अन्तर्गत जो अभ्यर्थी पात्रता रखते हैं, केवल उन्हें ही आवेदन करना चाहिए।

अनुभाग-IV शारीरिक दक्षता परीक्षण से सम्बंधित दिशा-निर्देश

प्रवेशार्थियों को प्रवेश हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण (फिटनेस टेस्ट) उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यह एक वांछनीय योग्यता है। इसका वरीयता निर्धारण में कोई योगदान नहीं होगा।

वर्ग	दौड़	समय
पुरुष वर्ग	2400 मीटर दौड़	12 मिनट
महिला वर्ग	2000 मीटर दौड़	12 मिनट

सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय खेल पोशाक में दौड़ना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षण एक अवसर में ही उत्तीर्ण करना होगा। उन्हीं सफल अभ्यर्थियों से वरीयता सूची तैयार कर प्रवेश दिया जायेगा।

आवेदक ध्यान दें :-

- प्रवेशार्थी जिस संस्था में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए काउन्सलिंग के समय महाविद्यालयों की अधिक से अधिक प्राथमिकता देते हुए विकल्प का उल्लेख करें।
- प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ समस्त दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है। तथापि ऐसे अभ्यर्थी जो कि वर्तमान सत्र में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी दस्तावेज पृथक से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने में शिथिलता रहेगी।

- किसी भी राजकीय विभाग/स्वशाषी निकाय में सेवारत कार्मिक यदि आवेदन कर रहा है तो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति (No Objection Certificate) आवेदन पत्र के साथ जमा करवाना आवश्यक होगा।
- शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय मूल अंकतालिका एवं सम्बन्धित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

अनुभाग-V प्री.बी.पी.एड.-2026 की वरीयता का निर्धारण से सम्बंधित दिशा-निर्देश

प्री.बी.पी.एड.-2026 की वरीयता का निर्धारण अधोलिखित मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा :-

क्र.सं.	विवरण	अधिकतम अंक
1.	(स्नातक परीक्षा के कुल अंकों का 60% प्रतिशत)	60 अंक
2.	सी.पी.एड./डी.पी.एड./किसी भी खेल में (भारतीय खेल प्राधिकरण एवं एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर द्वारा) एक वर्षीय कोचिंग डिप्लोमा	05 अंक
3.	खेल प्रमाण पत्र के अधिकतम अंक (पृष्ठ सं. 10 बिन्दु सं. I से XII के अनुसार)	35 अंक
	कुल अधिकतम अंक	100 अंक

1. प्री.बी.पी.एड.-2026 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्रों को राज्य वरीयता/वर्गवार पृथक किया जाएगा तथा उसके बाद वरीयता का निर्धारण आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार किया जायेगा।
2. पुरुष व महिला अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार सहशिक्षा वाले संस्थानों में प्रवेश दिया जा सकेगा। महिला अभ्यर्थियों को ही उनकी मेरिट के अनुसार महिला शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश दिया जायेगा।
3. खेल क्रीड़ा कौशल स्तर योग्यता/खेल प्रमाण पत्र:- खेलकूद प्रतियोगिताएं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग संस्कृत शिक्षा विभाग, नवोदय विद्यालय समिति, केन्द्रीय विद्यालय संगठन की विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों तथा विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों/विजेता खिलाड़ियों की उपलब्धि के अनुसार भारांक (weightage) दिए जा सकेंगे।
आवेदक ध्यान दें : ऑनलाईन आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपने पास उपलब्ध सर्वोच्च अंक वाले किसी एक प्रमाण पत्र के अंक ही दर्ज करने हैं।
4. ओपन प्रतियोगिताओं के कोई अंक नहीं दिये जायेंगे।
5. खेल प्रमाण पत्र की सूची एवं अंक निम्नांकित है :-

I.	विश्व स्कूल खेल (World School Games)/वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेल (World University Games) में प्रतिभागिता अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय /स्कूल गोम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ.आई) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	35 अंक
II.	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल गोम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ.आई.) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाण पत्र	30 अंक

	धारियों के लिए	
III.	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ. आई.) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में तृतीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	25 अंक
IV.	स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ.आई.) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	20 अंक
V.	इन्टर जोनल अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल राज्य स्तर/संस्कृत विद्यालय राज्य स्तर विद्याभारती/के.वी.एस./नवोदय विद्यालय आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	20 अंक
VI.	इन्टर जोनल अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल राज्य स्तर/ संस्कृत विद्यालय राज्य स्तर विद्याभारती/ के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/ आई.पी.एस./ सी.बी.एस.ई. नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	15 अंक
VII.	इन्टर जोनल अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल राज्य स्तर/संस्कृत विद्यालय राज्य स्तर/विद्याभारती/के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में तृतीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	13 अंक
VIII.	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय/जोन अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल राज्य स्तर/संस्कृत विद्यालय राज्य स्तर/के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी. एस.ई. नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	12 अंक
IX.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर महाविद्यालय/स्कूल जिला स्तर संस्कृत विद्यालय संभाग स्तर विद्याभारती/के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. रीजनल या कलस्टर स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	10 अंक
X.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर महाविद्यालय/स्कूल जिला स्तर/ संस्कृत विद्यालय संभाग स्तर विद्याभारती/के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी. एस.ई. रीजनल या कलस्टर स्तर की प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	8 अंक
XI.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर महाविद्यालय/स्कूल जिला स्तर संस्कृत विद्यालय संभाग स्तर विद्याभारती/ के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. रीजनल या कलस्टर स्तर की प्रतियोगिताओं में तृतीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	6 अंक
XII.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर महाविद्यालय/स्कूल जिला स्तर संस्कृत विद्यालय संभाग स्तर/विद्याभारती/के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. रीजनल या कलस्टर स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	4 अंक

नोट-

- सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक को उक्त शैक्षिक योग्यता/ खेल प्रमाण पत्रों के साथ किसी राजकीय अनुदानित गैर राजकीय विद्यालय में न्यूनतम तीन वर्ष की निरन्तर सेवारत होना आवश्यक है।

प्रवेश प्रक्रिया से सम्बन्धित टिप्पणियाँ :-

1. वरीयता निर्धारण के परिणामस्वरूप आने वाली वरीयताओं में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ए.आई.यू. से मान्यता प्राप्त खेलों के खिलाड़ी वरीयता में स्थान न रखने पर भी प्रवेश प्रक्रिया निर्देश में दर्शायी गई न्यूनतम वांछित योग्यता पर प्रवेश दिया जायेगा। बशर्ते की उसने शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो।

अनुभाग-VI सीटों के आरक्षण से सम्बन्धित नियम एवं दिशा-निर्देश

द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सभी वर्गों के लिये राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने के पश्चात् रिक्त रही शेष सीटों पर प्रवेश अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में से नियमानुसार वरीयता के आधार पर दिया जा सकेगा।

1. राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला अभ्यर्थियों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट सब डिवीजन मजिस्ट्रेट तहसीलदार से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - a. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार मान्य होगा।
 - b. अन्य पिछड़ा वर्ग व विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुरूप होगी।
2. विवाहित महिला के संदर्भ में उसके पति का बोनाफाइड निवास स्थान राजस्थान में उनका बोनाफाइड निवास स्थान माना जा सकता है। बशर्ते पति के निवास का बोनाफाइड निवास प्रमाण पत्र पेश किया जाये और विवाह प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो, प्रवेश में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायें।
3. विधवा एवं तलाकशुदा श्रेणी का लाभ लेने वाली अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विधवा अभ्यर्थियों द्वारा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं तलाकशुदा महिला को न्यायालय से अपने तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं इस आशय का शपथ पत्र भी कि, उसने पुनः शादी नहीं की है, देना होगा।
4. सेवानिवृत्त सैनिक के लिए रक्षा मंत्रालय भारत सरकार का डिस्चार्ज (सेवानिवृत्त) प्रमाण पत्र एवं सेवानिवृत्त पुस्तिका होनी चाहिए।
5. अस्थायी प्रवेशित अभ्यर्थियों का अन्तिम दस्तावेज सत्यापन आवांठित महाविद्यालय/ संस्थान द्वारा किया जावेगा, यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से महाविद्यालय द्वारा सत्यापन पश्चात् अन्तर/त्रुटि पाई जाती है तो महाविद्यालय संस्थान द्वारा प्रवेश निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. न्यायालय में दायर सभीवादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ जयपुर शहर होगा। राजस्थान के शारीरिक शिक्षा महाविद्यालयों में द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2026-2027 में प्रवेश सिर्फ राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा ही किया जायेगा। तदनुसार उक्त पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर पर किसी अभ्यर्थी को सीधे ही प्रवेश दिये जाने की स्थिति में उक्त प्रवेश के लिये राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर जिम्मेदार नहीं होगा तथा उक्त अभ्यर्थी अयोग्य अभ्यर्थियों की श्रेणी में होगा। इस बाबत किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
7. बी.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु आवांठित कुल सीटों में से 30 सीटें राज्य सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक जो सी.पी.एड. उत्तीर्ण हो, के लिए आवांठित होगी। इनके प्रवेश का आधार वरिष्ठता होगा, शैक्षणिक अर्हता एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण अनिवार्य होगा। रिक्त रहने पर सामान्य वरीयता से भरी जायेगी।
8. किसी भी स्तर पर यदि तथ्यों का विवरण मिथ्या या गलत पाया जाता है तो अभ्यर्थी के स्वतः ही प्रवेश की पात्रता रद्द/निरस्त हो जायेगी और यदि प्रवेश मिल भी चुका हो तो वह भी निरस्त हो जायेगा।

9. शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स यथा बी.पी.एड., एम.पी.एड. में शारीरिक दक्षता एवं प्रशिक्षण के चलते दिव्यांगजनों को उक्त दोनों कोर्सेज में प्रवेश नहीं दिया जाता है।

अनुभाग VII बी.पी.एड. 2026 पाठ्यक्रम के शुल्क सम्बंधित दिशा-निर्देश

1. **आवेदन शुल्क :-** आवेदक द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु बी.पी.एड. की वेबसाइट पर आवेदन करते समय आवेदन शुल्क के रूप में 1100/- रु. ऑनलाईन जमा करवाया जाएगा। एक बार जमा की गई आवेदन शुल्क राशि केवल तकनीकी कारणों से दोहरा शुल्क जमा होने की स्थिति में ही लौटायी जावेगी, शेष प्रकरणों में आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा।
 2. **पंजीकरण शुल्क :-** उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश फार्म भरने वाले विद्यार्थी के द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षण से पूर्व अभ्यर्थियों से पंजीकरण करवाया जाना आवश्यक है। जिसके लिये पंजीकरण शुल्क के रूप में **राशि रु. 5000/-** निर्धारित किया गया है, जो कि बी.पी.एड. की वेबसाइट के माध्यम से जमा करवाया जा सकेगा, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जावेगा, उन्हें **शारीरिक दक्षता परीक्षण** में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण के समय जमा करवायी गई राशि को उक्त निर्धारित वार्षिक शिक्षण शुल्क राशि में समायोजित करते हुये, शेष राशि ही प्रवेश के समय निर्देशानुसार जमा करवानी होगी।
- आवेदक ध्यान दें :-** जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षण से पूर्व 5000/- रु. पंजीकरण शुल्क जमा करवा दिया गया है, किन्तु किन्हीं कारणों से आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया गया है तथा सीटों के अभाव में महाविद्यालय आवंटित नहीं हो सका है, ऐसे अभ्यर्थियों में से जिन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित हो चुका है, किन्तु उनके द्वारा अपवर्ड मूवमेन्ट प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् भी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया गया है, उनसे पंजीकरण राशि में से 1000/- प्रति अभ्यर्थी तथा जिन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में सीट आवंटित नहीं हो सकी है, उनके पंजीकरण राशि में से रु. 500/- प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभार के रूप में काट कर शेष राशि लौटा दी जावेगी।
3. **पाठ्यक्रम शुल्क :-** द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु राज्य सरकार द्वारा **राशि रु. 22430/-** वार्षिक शिक्षण शुल्क निर्धारित किया हुआ है। अतः अभ्यर्थियों से कुल शुल्क उपरोक्तानुसार ही लिया जाना है।
 4. **बी.पी.एड. प्रवेश प्रक्रिया, 2026 में अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी।**

आवेदक ध्यान दें :-

- इस निर्देशिका में दी गयी समस्त सूचनाएँ केवल अभ्यर्थियों की सहायता हेतु है अंतिम रूप में केवल NCTE एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के सम्बंधित आदेश ही मान्य होंगे।
- प्री.बी.पी.एड.-2026 के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा की गई संभावित गतिविधियाँ (परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, काउंसलिंग और प्रवेश तिथि) की सूचना वेबसाइट पर दी जाएंगी।

समन्वयक
प्री.बी.पी.एड.-2026
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

नमूना
सेवारत शारीरिक शिक्षक प्रमाण पत्र

श्री / श्रीमती / कुमारी..... विद्यालय का नाम..... जिला
..... की..... तृतीय वेतन श्रृंखला में प्रथम नियुक्ति तिथि
..... है। इनका मूल वेतन रुपये प्रतिमाह है। ये वेतन
श्रृंखला में कार्यरत है।

प्रति हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी नाम एवं मोहर सहित

हस्ताक्षर संस्था प्रधान नाम एवं मोहर सहित

*****END*****